भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2508

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

सोनभद्र जिले में खदान दुर्घटना में मजदूरों की मौत के कारण

2508. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कोई बड़ा खनन हादसा हुआ जिसमें कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए और घटना के दूसरे दिन तक 14 मजदूर लापता रहे;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त हादसे के कारणों की जांच के लिए नियुक्त एजेंसियों या अधिकारियों सहित उस जांच की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को हादसे के समय सुरक्षा मानक, मशीनरी निरीक्षण या विस्फोट प्रोटोकॉल से संबंधित किसी लापरवाही या अनियमितताओं की जानकारी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे खनन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कोई विशेष सुरक्षा मानक, तकनीकी निगरानी प्रणाली या आपदा-प्रबंधन तंत्र मौजूद है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में स्थित मैसर्स कृष्णा माइनिंग वर्क्स की बिल्ली मारकुंडी स्टोन माइन में 15.11.2025 को एक "घातक दुर्घटना" हुई। जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ),पुलिस तथा चिकित्सा टीमों, जिनमें खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) भी शामिल था, की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। राहत कार्य के दौरान मलबे से सात (07) शव बरामद किए गए। डीजीएमएस द्वारा दुर्घटना के कारणों एवं परिस्थितियों की जाँच की जा रही है।

कामगारों की सुरक्षा के प्रति गंभीर खतरे को देखते हुए दिनांक 05.09.2022 को डीजीएमएस द्वारा एक निषेधाज्ञा जारी कर दी गई थी। अनुपालन न किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर 31.10.2025 को सभी खनन कार्यों को रोकने के लिए नए निर्देश जारी किए गए और कार्य बंद कराने तथा ट्रांजिट चालानों को निलंबित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को सूचित किया गया।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 के उपबंधों तथा इसके नियमों एवं विनियमों के माध्यम से खान कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा उपलब्ध है, जो सुव्यवस्थित खनन गतिविधियों, उचित बेंचिंग, ढलान की स्थिरता तथा वैधानिक प्रबंधकों और पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निरंतर निगरानी को अनिवार्य बनाता है।

******